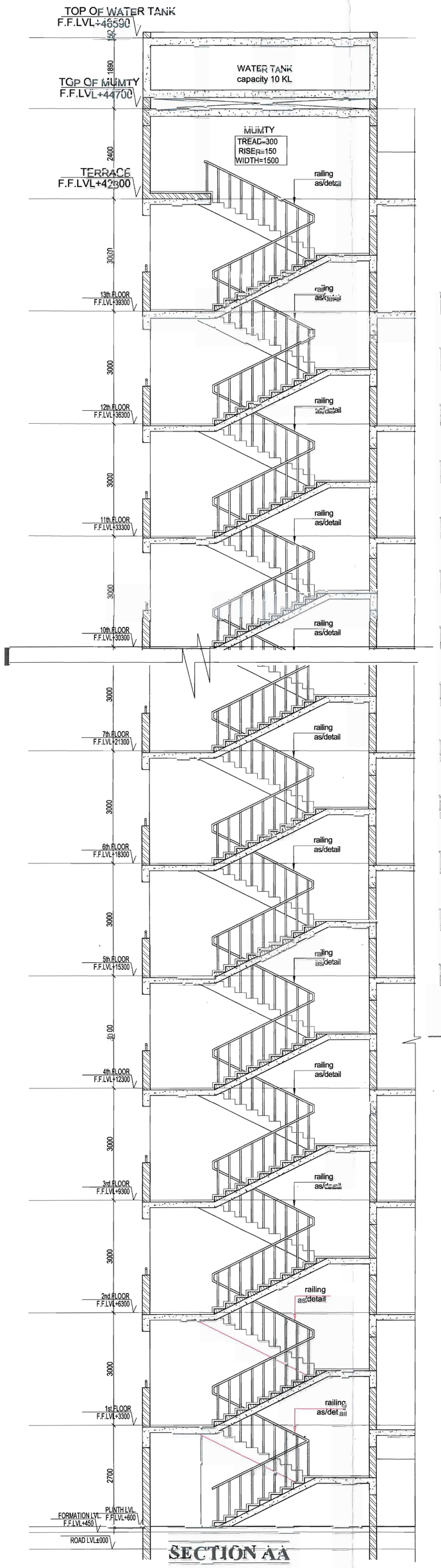

SECTION AA
SCALE =1 :50

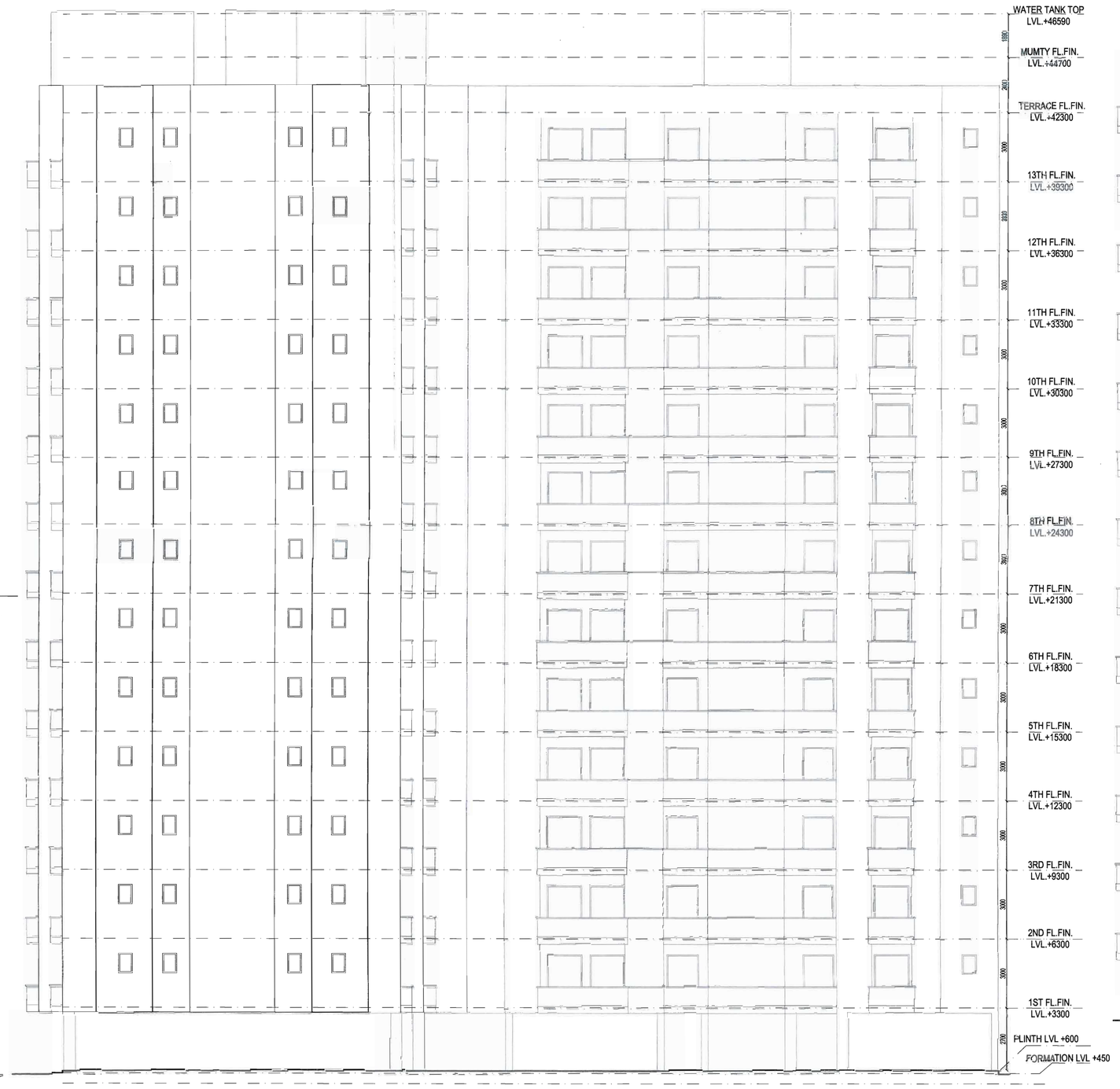

ELEVATION A
(BLOCK A1)

SECTION-BB
SCALE =1 :100

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING IN VILLAGE BAKKAS, LUCKNOW.

NOTE:-
ALL FIRE CHECK DOOR ARE OF 2H RATING.

प्रतिबन्ध (समाजवादी आवास योजना)

1 विकासकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के क्रम में चारदीवारी एवं प्रवृद्धन निर्माण की अनापत्ति एवं अन्य अनापत्ति आदि निर्माति अवधि में प्राप्त नहीं होती है अथवा निर्माण प्रारम्भ होती है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। लाइसेन्स में उल्लेखित मानचित्र पूनः स्वीकृत कराना होगा।
2 शपथ पत्र दिनांक 17.12.2016 के अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण से सम्बन्धित सम्पूर्ण लेबर सेस के भुगतान एवं लेबर डिपार्टमेन्ट की अनापत्ति के पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
3 स्वीकृत लागू आवास भवन मानचित्र भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4 स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृत सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित करते हुये निर्माति प्रारम्भ पर एक बोर्ड लगाना होगा।
5 भवन निर्माण में शासनादेशानुसार लेबर एवं एस्ट तथा नेशनल बिल्डिंग कोडटी कार्यविधि के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। लेबर सेस शुल्क की नियमानुसार जमा करना होगा।
6 विभाजन पत्र हेतु आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/अधिकरण अनुमन्य नहीं है।
7 सुदमपात जिलाधान व स्पोलिकिलन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
8 शासनादेश के अनुसार स्थल पर पेयजल हार्वेस्टिंग का प्रावधान करना होगा।
9 शासनादेश के अनुसार स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्रावधान करना होगा।
10 निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
11 लागू आवास मानचित्र स्थल पर शासनादेशानुसार ड्राम एवं लैण्ड स्केपिंग का प्रावधान करना होगा।
12 मानचित्र का उपयोग केवल लागू आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
13 भविष्य में लचकर विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है, तो वह द्वारा देय होगी।
14 अग्निशमन एवम तथा विभिन्न अन्य पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15 अग्निशमन विभाग की अनापत्ति पर अंकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16 आवेदक द्वारा समस्त संबंधों की कम्पेनीटिटी सम्बन्धित विभागों से करने व्यय पर लेनी होगी एवं स्थानीय निकायों को योजना हस्तान्तरित किये जाने का उत्तरदायित्व भू-स्वामी/आवेदक का होगा।
17 भवन परिसर में आवश्यक व्यक्तियों के लिए भवन उपविधि में अपेक्षित प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
18 समाजवादी आवास योजना के सम्बन्धित शासनादेश सं0-12/2016/119/आ0- 1-16-34ई0म0/2014 दिनांक 12.01.2016, शासनादेश सं0-14/आ0/आ0-1- 14- 34ई0म/14 दिनांक 12.12.2014, शासनादेश सं0-13/2008/आ0- -14-34ई0म/ 14दिनांक 12.12.2014 एवं शासनादेश सं0-13/2016/120/आ0-1-16-34ई0म/ 2014 दिनांक 12.01.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य है।
19 नीचे एवं एम्बाउंडमेंट क्षेत्रफल अनिवार्य है।
20 नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रावधान सुलभ व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
21 यदि मानचित्र एवं स्थल मूल्यांकन के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रयास पाया जाता है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-16(8) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
22 उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
23 विकास कार्य सुनिश्चित करने हेतु अन्यत्र भूमि/भूमि पर निर्माण का विक्रय तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक विकास कार्य पूर्ण न हो जायें एवं भूमि अन्यत्र मुक्त न हो जाये।
24 योजना का समूह विकास कार्य पूर्ण करना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
25 नियमानुसार अंतेष्ट परिसर का विकास विकासकर्ता द्वारा नहीं किया जायेगा।

भूत पूर्वावधि उक्त भूखंड पर योजना की नियत अधिनियम 1973 के धारा 15 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग स्वीकृत किया गया है कि विकास अधिकरण भूमि नियंत्रण एवं विकास के लिए नियत क्षेत्र नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकारी
स्वीकृत
परिपत्र संख्या 4109100
दिनांक 30-08-2016
स्वीकृत की दिनांक दिनांक 19-08-2016
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SUBMISSION DRAWING

NORTH:

NOTE:

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021, भवन उपविधि 2008 तथा समाजवादी आवास योजना के अनुरूप तैयार किया गया है।

DRAWING TITLE:

BLOCK A1

DRAWING NO:

KUTUMB/GH-1/SUB/04

SCALE	1:100 OR AS SHOWN	DATE	JUNE 2016
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT:

M/S ABC INFRAPROMOTERS PVT. LTD. / COMSORTIUM

For ABC Infrapromoters Pvt. Ltd.
Auth. Sign.

DEVELOPER:

EXCELLA KUTUMB

पत्र सं0 ..... दिनांक 07.07.16
की शर्तों के अनुरूप ... दर्ज किया गया।
सुरक्षा अधिकारी

PRINCIPAL ARCHITECT:

JSR DESIGN PVT. LTD.
C-67, DEFENCE COLONY
NEW DELHI-110025

(के0 के0 मिश्रा)
अधि0 भवन अधिकारी
एल0डी0ए0/डी0डी0आई0ए0
लखनऊ

ARCHITECT:

ARPITA SINGH
Architect
CA/2011/52917

04/11